रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938
No. 100] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

कार्मिक, लोक शिकायात और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 123(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 318 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**4. वेतन** -- अध्यक्ष प्रति मास 2,50,000 रुपए (दो लाख पचास हजार रुपए) का वेतन प्राप्त करेगा और प्रत्येक अन्य सदस्य प्रति मास 2,25,000 रुपए (दो लाख पच्चीस हजार रुपए) का वेतन प्राप्त करेगा :

परंतु यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व संघ सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत (किसी नि:शक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा था या प्राप्त करने के लिए पात्र होते हुए उसने ऐसी पेंशन लेने का विनिश्चय किया था, तो यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा,

(क) उस पेंशन की रकम ; और

(ख) यदि पद ग्रहण करने से पूर्व उसने ऐसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत उसे देय पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका सरांशित मूल्य प्राप्त किया था, तो पेंशन के उस भाग की रकम।"

3. उक्त विनियम में, उपनियम (7क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(7क) -- अनुपयोजित अर्जित अवकाश के बदले में नकद संदाय : सदस्य को उसके पद पर न रहने के समय उसके नाम में अर्जित अवकाश की अवधि की बाबत छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद संदाय किया जाएगा और ऐसे दिनों की संख्या सीमित होगी, जो इस निमित्त बनाए जाने वाले विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।"

4. उक्त विनियम में, विनियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**8.अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय पेंशन**- (1) किसी सदस्य जो उस रूप में अपनी नियुक्ति के समय केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में था, अपनी नियुक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रयोग किए जाने वाले अपने विकल्प पर, उस सेवा को, जिसमें वह था, लागू नियमों के अधीन अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से प्राप्त करने का हकदार होगा;

परंतु ऐसी दशा में, सदस्य के रूप में उसका वेतन कुल पेंशन (जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग भी सम्मिलित है जिसे सरांशितकृत किया गया हो) के समतुल्य रकम और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे के समतुल्य पेंशन में से घटा दिया जाएगा और वह अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे पृथक रूप से प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य, जो उस रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकार के पूर्णत: या पर्याप्तत: स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय निकाय या अन्य निकाय की सेवा में था, ऐसे सदस्य के रूप में पद पर न रहने पर, पेंशन और उपदान ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा जो इस निमित्त बनाए जाने वाले विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं:

परंतु ऐसी पेंशन और उपदान किसी सदस्य को तब तक संदेय नहीं होगा –

(क) जब तक उसने ऐसे सदस्य के रूप में पेंशन के लिए सेवा के कम से कम तीन वर्ष पूरे न कर लिए हों और उपदान के लिए सेवा के कम से कम पांच वर्ष पूरे न कर लिए हों; या

(ख) यदि उसे ऐसे सदस्य के रूप में पद से हटाया गया हो ।

(3) इन विनियमों के अधीन पेंशन किसी सदस्य को आजीवन संदेय होगी ।

(4) इन विनियमों के अधीन पेंशन किसी ऐसे सदस्य को संदेय नहीं होगी –

(क) जो उस रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख को सरकार के पूर्णत: या पर्याप्तत: स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय निकाय या किसी अन्य निकाय की सेवा में था; या

(ख) जो उस रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख को केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, सरकार के पूर्णत: या पर्याप्तत: स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय निकाय या किसी अन्य निकाय के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था,

यदि वह किसी भविष्य निधि या अन्यथा से पेंशन, उपदान, संदाय के माध्यम से कोई सेवानिवृत्ति फायदा प्राप्त कर रहा था, प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है ।"

5. उक्त विनियमों में, नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**10. सेवा की अन्य शर्तें**- इन विनियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी यात्रा रियायत, प्रवहण भत्ता से संबंधित सेवा की शर्तें और सेवा की ऐसी अन्य शर्तें जो, यथाशक्य, केंद्रीय सरकार में समतुल्य वेतन को तत्समय लागू हैं, अध्यक्ष और अन्य सदस्य को लागू होती हैं ।

6. उक्त विनियमों में, विनियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**11. छुट्टी यात्रा रियायत लेने पर छुट्टी का नकद भुगतान**—अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसी दर जो इस निमित्त बनाए जाने वाले विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, छुट्टी रियायत लेने के समय छुट्टी के नकद भुगतान के लिए पात्र होंगे"।

7. उक्त विनियमों में, विनियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"15. नियमों और आदेशों का लागू होना – (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके लिए इन विनियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, भारत सरकार में समतुल्य वेतन को तत्समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा अवधारित की जाएंगी ।"

(2) इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई बात निष्प्रभावी होगी जिससे कि इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व नियुक्त किए गए अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके वेतन या उसके भत्तों या अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन की बाबत उसके अधिकारों या उन हकदारियों से भिन्न किसी अन्य हकदारी जिसके लिए वह हकदार हुआ होता यदि ये नियम नहीं बनाए गए होते, की बाबत शर्तों को कम हितकर बनाया जा सके ।

[सं. 39019/05/96-स्था.(बी)(खंड IV)]

ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1402, तारीख 11 अक्तूबर, 1969 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए, अर्थात् :-

क्रम सं.	**सा.का.नि. सं.**	**प्रकाशन की तारीख**
1.	1230	6.10.79
2.	1418	1.12.79
3.	357	8.3.80
4.	977	27.9.80
5.	832	12.8.81
6.	388	21.5.83
7.	640	3.9.83
8.	584	30.5.84
9.	692	6.9.86
10.	344	30.4.88
11.	583	30.7.89
12.	379	4.6.90
13.	667(अ)	4.7.92
14.	496(अ)	30.6.93
15.	373	2.7.93
16.	150(अ)	26.3.96
17.	719(अ)	3.12.97
18.	221	17.7.99
19.	230	28.4.2001
20.	450	28.6.2007
21.	228(अ)	31.3.2009
22.	892(अ)	11.12.2009

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PERSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2017

G.S.R. 123(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of article 318 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969, namely —

1. (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Members) Amendment Regulations, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969 (hereinafter referred to as the said regulations) for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely:--

   "4. Pay.—The Chairman shall receive a pay of Rs. 2,50,000 (two lakh and fifty thousand rupees) and each of the other Member shall receive a pay of Rs. 2,25,000 (two lakh and twenty five thousand rupees) per mensem:

   Provided that if a person who, immediately before the date of assuming office as the Chairman, or as the case may be, a Member, was in receipt of, or, being eligible so to do, had elected to draw, a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of the Union or under the Government of a State, his salary in respect of service as the Chairman, or, as the case may be, a Member shall be reduced—

   (a) by the amount of that pension: and

   (b) if he had, before assuming office, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension."

3. In the said regulations, for sub-regulation 7A, the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

   "7A– Cash payment in lieu of unutilised Earned Leave:—A Member shall be paid cash equivalent of leave salary in respect of period of earned leave at his credit at the time of his ceasing to hold office and shall be limited to such number of days as may be specified by the regulations to be made in this behalf."

4. In the said regulations, for regulation 8, the following regulation shall be substituted, namely:—

"8. Pension payable to Chairman and Members.—(1) A Member who at the time of his appointment as such, was in the service of the Central Government or a State Government shall, at his option to be exercised within a period of six months from the date of his appointment, be entitled to draw his pension and other retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged with effect from the date of his appointment as Member;

Provided that, in such event, his pay as Member shall be reduced by an amount equivalent to the gross pension (including any portion of the pension which may have been commuted) and the pension equivalent of other retirement benefits and he shall be entitled to draw his pension and other retirement benefits separately.

(2) Subject to the provisions of these regulations, every Member, who at the date of his appointment as such was not in the service of the Central Government or the State Government, a local body, or any other body wholly or substantially owned or controlled by Government shall, on his ceasing to hold office as such Member, be paid a pension and gratuity at such rates as may be specified by the regulations to be made in this behalf:

Provided that no such pension and gratuity shall be payable to a Member—

(a) unless he has completed not less than three years of service for pension as such Member and not less than five years of service for gratuity; or

(b) if he has been removed from office as such Member;

(3) The pension under these regulations shall be payable to a Member for life.

(4) The pension under these regulations shall not be payable to a Member—

(a) who, at the date of his appointment as such, was in the service of a local body or any other body wholly or substantially owned or controlled by the Government; or

(b) who, at the date of his appointment as such, had retired from service under the Central Government or a State Government, a local body or any other body wholly or substantially owned or controlled by Government,

if he is in receipt of, has received or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension, gratuity, payment from any Provident Fund or otherwise."

5. In the said regulations, for regulation 10, the following regulation shall be substituted, namely:—

"**10 Other conditions of service**—Save as otherwise provided in these regulations, the conditions of service relating to travelling allowance, medical facilities, Leave Travel Concession, conveyance allowance and such other conditions of service as are for the time-being applicable to equivalent pay in the Central Government, as far as may be, apply to the Chairman and other Members."

6. In the said regulations, after regulation 10, the following regulation shall be inserted, namely:-

"11. Leave Encashment on availing Leave Travel Concession—The Chairman and other Members shall be eligible for leave encashment at the time of availing of Leave Travel Concession at such rate as may be specified by the regulations to be made in this behalf."

7. In the said regulations, for regulation 15, the following regulation shall be substituted, namely:-

"15. Applicability of rules and orders— (1) The conditions of service of the Chairman and other Members for which no express provision has been made in these regulations shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to equivalent pay in the Government of India.

(2) Nothing contained in these regulations shall have effect so as to give to a Chairman or a Member appointed before the commencement of these regulations less favourable terms in respect of his pay or his allowances or his rights in respect of leave of absence or pension or any other entitlement than those to which he would have been entitled if these regulations had not been made.

[No. 39019/05/96-Estt.(B) (Vol. IV)]

GYANENDRA DEV TRIPATHI, Jt. Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 1402, dated the 11th October, 1969 and subsequently amended vide:—

S.No.	G.S.R. No.	Date of Publication
1.	1230	6-10-79
2.	1418	1-12-79
3.	357	8-3-80
4.	977	27-9-80
5.	832	12-8-81
6.	388	21-5-83
7.	640	3-9-83
8.	584	30-5-84
9.	692	6-9-86
10.	344	30-4-88
11.	583	30-7-89
12.	379	4-6-90
13.	667(E)	4-7-92
14.	496(E)	30-6-93
15.	373	2-7-93
16.	150(E)	26-3-96
17.	719(E)	3-12-97
18.	221	17-7-99
19.	230	28-4-2001
20.	450(E)	28-6-2007
21.	228(E)	31-3-2009
22.	892(E)	11-12-2009

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.10 22:58:19 +05'30'